न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट घाटोल जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री राम प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2020

वादी :–

1. रकमा पिता भेरिया, जाति भील, निवासी बडलिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

2. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील कार्यालय घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।

दिनांक :–13.03.2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीया रकमा पिता भेरिया, जाति भील, निवासी बडलिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.) ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बडलिया प.ह. डागल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित प्रार्थी के सहखातेदार की कृषि भूमि खाता संख्या 44 नया, 40 पुराना, जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार कुल खसरा 43, कुल क्षेत्रफल 9.04 हे. कृषि भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं मौके पर कोई विवाद नही है। प्रार्थी के अनुसार उसका वास्तविक नाम रकमा पिता भेरिया है एवं नामान्तरण संख्या 9 दिनांक 13.12.2001 के द्वारा प्रार्थी का नाम रकमा के स्थान पर पटवारी द्वारा खुमा दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थीया का निवेदन है कि प्रार्थीया का नाम सहखातेदार के रूप में खुमा पिता भेरिया के स्थान पर रकमा पिता भेरिया दर्ज किया जाय।

पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार घाटोल को तलब किया गया। तहसीलदार घाटोल द्वारा दिनांक 04.03.2020 को जवाब पेश किया गया। तहसीलदार घाटोल ने मौके की जांच कराई एवं इस बात से सहमति कि खुमा पिता भेरिया के स्थान पर रकमा पिता भेरिया दर्ज करना उचित है तथा इस नाम का कोई और व्यक्ति नही है।

पत्रावली पर मौजूद दस्वावेजों का अवलोकन किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि खुमा पिता भेरिया एवं रकमा पिता भेरिया एक ही व्यक्ति हैं। अतः कृषि भूमि खाता संख्या 44 नया, 40 पुराना के कुल खसरा 43, कुल क्षेत्रफल 9.04 हे. में प्रार्थी का नाम रकमा पिता भेरिया सहखातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

(राम प्रकाश)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
घाटोल, बांसवाडा।

–:: आदेश ::–

वाके ग्राम बडलिया प.ह. डागल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित खाता संख्या 44 नया, 40 पुराना, जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार कुल खसरा 43, कुल क्षेत्रफल 9.04 हे. में सहखातेदार के रूप में खुमा पिता भेरिया के स्थान पर रकमा पिता भेरिया, निवासी बडलिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.) के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घाटोल 15 दिवस में आदेश का अमल दरामद कर रिपोर्ट पेश करें।

(राम प्रकाश)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
घाटोल, बांसवाडा।